



## राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद


संख्या-90 (लो0सू0अ0)/2022-23


श्री प्रद्युम्न नाथ, पिता-श्री पारस नाथ, ग्राम-सबितापुर, पोस्ट-जोगामुसाहिब, तहसील-मुहम्मदाबाद,

जिला-गाजीपुर (उ.प्र.), पिन कोड-233233

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
08.02.2023	<p>श्री प्रद्युम्न नाथ, पिता-श्री पारस नाथ, ग्राम-सबितापुर, पोस्ट-जोगामुसाहिब, तहसील-मुहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर (उ.प्र.), पिन कोड-233233 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-06.02.2023 इस कार्यालय में दिनांक-08.02.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का तीन पोस्टल ऑर्डर संख्या-59F 445469, 59F 445470, एवं 59F 445469 दिनांक-अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराये।</p> <p>अपीलकर्ता श्री प्रद्युम्न नाथ ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-14.12.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना/निर्णय नहीं दिये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-14.12.2022 की प्रति संलग्न नहीं किया है।</p> <p>अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक-14.12.2022 से संबंधित अभिलेख की मांग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक-27.02.2023 को उपस्थापित करें।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.02.2023	<p>दिनांक-08.02.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री प्रद्युमन नाथ, पिता-श्री पारस नाथ, ग्राम-सबितापुर, पोस्ट-जोगामुहासबि, तहसील-मुहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर (उ. प्र.), पिन कोड-233233 से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक-14.12.2022, राज्यपाल सचिवालय, पटना में दिनांक-19.12.2022 को प्राप्त हुआ है। प्रपत्र 'क' के साथ संलग्न आवेदन दिनांक-14.12.2022 को राज्यपाल सचिवालय, पटना के पत्रांक-11 दिनांक-18.01.2023 के माध्यम से आवेदन को विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण केन्द्र, पटना को भेजा गया है, जिसकी प्रतिलिपि आवेदक को भी भेजा गया है।</p> <p>अपीलार्थी श्री प्रद्युमन नाथ ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह अपील सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण दायर किया था।</p> <p>उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपील शुल्क अप्राप्त रहने तथा लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' दिनांक-14.12.2022 के आलोक में सूचना का प्रेषण किये जाने के कारण प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।</p>	<p style="text-align: center;">   <b>विशेष कार्य पदाधिकारी</b>          -सह-  <b>प्रथम अपीलीय प्राधिकार</b> </p>